कोयला भारती पत्रिका के लिए हिंदी में रचनात्मक लेखन हेतु मानदेय योजना

1.0 शीर्षक:

1.1 इस योजना को **कोयला भारती पत्रिका के लिए हिंदी में रचनात्मक लेखन हेतु मानदेय योजना** कहा जाएगा।

2.0 उद्देश्य:

2.1 इस योजना का उद्देश्य तकनीकी/प्रबंधन/वित्त/मानव संसाधन आदि एवं कोल इंडिया लिमिटेड के कार्यक्षेत्र से संबंधित विषयों पर हिंदी में लेख/आलेख तथा साहित्यिक रचना लिखने के लिए प्रोत्साहित करना है।

2.2 सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा के उत्तरोतर प्रयोग के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों का अनुपालन करना है।

3.0 पात्रता:

3.1 भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में पदस्थापित सभी नियमित कार्मिक, सेवानिवृत्त कार्मिक और उनके परिवार के आश्रित सदस्य इस योजना में भाग लेने के पात्र होंगे।

4.0 मानदंड

4.1 इस योजना के तहत उत्साहवर्धन करने के लिए केवल उन्हीं रचनाओं पर विचार किया जाएगा, जो रचनाकार की मूल रचना है तथा अन्य कहीं प्रकाशित न हुई हों, साथ ही बीसीसीएल की गृह पत्रिका कोयला भारती में पहली बार प्रकाशित हुई हो।

4.2 रचनाओं की मौलिकता के सत्यापन की घोषणा निर्धारित प्रोफार्मा (संलग्न) में रचनाकार द्वारा लिखित में ली जाएगी।

4.3 भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि रचनाकार द्वारा भेजी गई रचना उनकी मौलिक रचना नहीं है, तो संबंधित रचनाकार के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है तथा उनसे पुरस्कार राशि भी वापस ली जाएगी।

4.4 तकनीकी /प्रबंधन/वित्त/मानव संसाधन आदि एवं साहित्यिक तथा कंपनी के कार्यक्षेत्र से विषयों पर लिखी गई रचनाएँ मूल रूप से हिंदी में होनी चाहिए। हिंदी में अनूदित रचनाओं को उत्साहवर्धन के लिए इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।

4.5 लेखक की रचना के संपादन का अधिकार संपादक मंडल के पास सुरक्षित होगा। संपादक मंडल रचना-धर्म, रचनाकार की स्वतंत्रता एवं कंपनी हित को ध्यान में रखकर संपादन करेंगे।

4.6 लेखक को रचना प्रकाशन के क्रम में कोल इंडिया लिमिटेड के आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमावली के स्थायी आदेशों का अनुपालन करना होगा।

4.7 प्रकाशित गद्य रचना कम से कम 500 (पाँच सौ) शब्दों की होनी चाहिए। लघु कथा कम से कम 100 शब्दों की होनी चाहिए।

4.8 लेख/आलेख अन्यत्र विभिन्न प्रकाशित स्रोतों से संकलित/संक्षेपित नहीं होने चाहिए। संकलित या सूचनापरक रचना के लिए कोई पुरुस्कार नहीं दिया जाएगा। केवल मौलिक रचनाओं के लिए ही मानदेय दिया जाएगा।

4.9 एक अंक में एक लेखक की अधिकतम एक ही रचना प्रकाशित की जाएगी।

4.10 कोयला भारती के प्रत्येक अंक में प्रकाशन हेतु प्राप्त सभी रचनाओं को संपादक मंडल की सहमति के पश्चात ही प्रकाशित किया जाएगा। उक्त मंडल/समिति कंपनी के संदर्भ में रचना की उपयोगिता, विशिष्टता, गुणवत्ता एवं उनकी प्रस्तुति के आधार पर प्रकाशन हेतु रचनाओं का चयन करेगी।

4.11 पत्रिका में प्रकाशन के बाद प्रकाशित रचना का उपयोग भारत कोकिंग कोल लिमिटेड भविष्य में अपने कार्यों / बौद्धिक संपदा के रूप में कर सकता है।

5.0 पुरस्कार:

5.1 कोयला भारती के प्रत्येक अंक में चुने गए प्रकाशित रचनाओं के रचनाकारों को उत्साहवर्धन के लिए निम्नानुसार नकद राशि प्रदान किया जा सकता है-

क्र.सं.	विवरण	राशि
1.	**गद्य रचना के लिए** **तकनीकी विषयों पर आलेख के प्रति पृष्ठ/500 शब्द के लिए** (तकनीकी विषय पर किसी एक आलेख के लिए अधितकम ₹ 3000/- ही देय होंगे।)	**1000/-** **(एक हजार रुपये)** प्रति रचना
2.	**साहित्यिक रचनाओं के प्रति पृष्ठ/500 शब्द के लिए** (किसी एक गद्य साहित्य पर अधिकतम ₹ 2400/- ही देय होंगे)	**₹ 800/-** **(आठ सौ रुपये)** प्रति रचना
3.	**कविता एवं लघु कथा हेतु**	**₹ 1000/-** **(एक हजार रुपए)** प्रति रचना
4.	**उपर्युक्त के अलावा अन्य प्रकार की रचनाओं (कार्टून, व्यंग्य आदि) के लिए**	**₹ 500/-** **(पाँच सौ रुपए)** प्रति रचना

5.3 संपादक मंडल प्रकाशित रचनाओं के लिए अपनी सिफारिशें राजभाषा विभाग के विभागाध्यक्ष को भेजेगा। तदुपरांत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर रचनाकारों को मानदेय दिया जाएगा।

5.4 समिति का निर्णय अंतिम होगा और इस पर किसी प्रकार का दावा नहीं किया जा सकेगा।

6.0 योजना का प्रबंधन:

6.1 इस योजना का संचालन राजभाषा विभाग, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड मुख्यालय द्वारा किया जाएगा।

6.2 उक्त पुरस्कार राशि का भुगतान राजभाषा विभाग, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड मुख्यालय के बजट से किया जाएगा।

7.0 सामान्य:

7.1 प्रकाशित रचनाओं की प्रतियाँ मुख्यालय के राजभाषा पुस्तकालय में भी रखी जा सकेगी।

7.2 यह योजना कोयला भारती के 38वें अंक के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

7.3 बीसीसीएल को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय बिना कारण बताए निदेशक (कार्मिक) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अनुमोदन से इस योजना में संशोधन / आशोधन कर सकता है या पूरी योजना को अथवा योजना के किसी अंश को समाप्त कर सकता है अथवा योजना के किसी भी प्रावधान से छूट दे सकता है।